सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 08/16 **निर्णय दिनांक–06.06.2018**

1. श्रीमती अणची देवी पत्नी किशनलाल जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
2. रूखमा पुत्री किशनलाल जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
3. सम्पति पुत्री किशनलाल जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
4. विमला पुत्री किशनलाल जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
5. भैराराम पुत्र किशनलाल जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. श्रीमती गोमती देवी पत्नी किशनलाल जाति रेगर निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 06–05–1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री उमेश ऋषि, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपायुक्त उपनिवेशन इगानप, बीकानेर के निर्णय दिनांक 04—01—2011 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि को दुरूस्त तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके चक 20 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 162/5 के किला नम्बर 4, 5 ता 8, 13 ता 24 में 17 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 25 में 8 बीघा अनकमाण्ड कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन अपीलांट के पति किशनलाल पुत्र लालूराम को किया गया था। उक्त आवंटन अपीलांट के पति किशनलाल को दिनांक 01—03—1984 को किया गया था। वादगत् भूमि किशनलाल पुत्र लालूराम को आवंटित होने पर किशनलाल व उनकी मृत्यु के उपरान्त किशनलाल के वारिसान अर्थात अपीलांट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। मौके पर ढाणी बनी हुई है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति जिसका नाम भी किशनलाल है और किशनलाल के पिता का नाम रामूराम है। जिनका वादगत् भूमि से कोई संबंध नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष गलत तथ्य प्रकट करते हुए आदेश जैर अपील इस आधार पर प्राप्त किया गया है वादगत् भूमि किशनलाल पुत्र लालूराम को आवंटित नहीं हुई है बल्कि किशनलाल पुत्र रामूराम को आवंटित हुई है। इस प्रकार किशनलाल के नाम का बेजा फायदा उठाकर वादगत् भूमि को हड़पने का प्रयास किया गया है। जबकि यह भूमि किशनलाल पुत्र लालूराम को आवंटित की गई थी तथा रिकार्ड में पट्टा भी किशनलाल पुत्र लालूराम के नाम से जारी किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष रिकार्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र दिनांक 04—01—2010 को रेस्पोडेन्ट के पति किशनलाल की तरफ से प्रस्तुत किया गया आवंटन आदेश में किशनलाल पुत्र रामूराम की जगह किशनलाल पुत्र लालूराम लिख दिया गया है। इसलिए रिकार्ड में दुरूस्ती/संशोधन किया जावे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 04—01—2011 के माध्यम से दुरूस्ती आदेश जारी कर यह लिख दिया गया कि किशनलाल पुत्र लालूराम के स्थान किशनलाल पुत्र रामूराम दुरूस्त किया जावें। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तमाम कार्यवाही एक तरफा तौर पर अपीलांट के पीठ पीछे की गई है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य साबित था कि जब अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आवंटन पट्टे में पिता के नाम से लेकर विवाद है एवं वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है, पट्टा हमारे नाम से है वादगत् भूमि की पास बुद हमारे नाम से जारी है व विगत् 10 वर्षो से भूमि का लगान, रकम, ब्याज व किश्तें हमारे द्वारा जमा करवाई जा रही है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित करते। अदालत मातहत द्वारा आनन—फानन में रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि का इंतकाल संख्या 172 अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा एक अपील डीसीसी न्यायालय, बीकानेर में कर रखी है, जो वर्तमान में जैरकार है।

इसप्रकार वादगत् भूमि के तमाम रिकार्ड अपीलांट के नाम से दर्ज है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04—01—2011 निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र की जॉच करते हुए व भूमि का पात्र धोषित करते हुए वादगत् भूमि चक 20 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 162/5 के किला नम्बर 4, 5 ता 8, 13 ता 24 में 17 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 25 में 8 बीघा अनकमाण्ड कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडन्ट संख्या 1 को दिनांक 28—01—1984 को किया गया है। उक्त तथ्य की ताईद अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन से होती है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेशिका के प्रकाश में रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश में सहवन से किशनलाल पुत्र रामूराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र लालूराम अंकित कर दिया गया। उक्त तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट को होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उक्त आवंटन आदेश में दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष उपलब्ध आवंटन पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु जारी आवंटन आदेश में सहवन से किशनलाल पुत्र रामूराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र लालूराम अंकित हो गया है अतः उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश में इस आश्य का संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये कि आवंटन आदेश में जहॉ किशनलाल पुत्र लालूराम अंकित है उसके स्थान पर किशनलाल पुत्र रामूराम पढ़ा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु ना तो अपीलांट द्वारा कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के

समक्ष प्रस्तुत किया गया है ना ही अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट के आवंटन की कोई पत्रावली ही संधारित है। ऐसी स्थिति में उक्त संशोधन आदेश जो कि रेस्पोडेन्ट की पत्रावली में किया गया है, से पूर्व अपीलांट को सुनने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट मात्र आवंटन आदेश में भूलवश किशनलाल पुत्र लालूराम अंकित होने का फायदा उठाकर वादगत् भूमि अपने नाम दर्ज कराना चाहता है जिसका कतई अधिकार अपीलांट को नहीं है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् ही आवंटन आदेश में दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मात्र आवंटन आदेश में नाम अंकित होने से वादगत् भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं होते है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 20 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 162/5 के किला नम्बर 4, 5 ता 8, 13 ता 24 में 17 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 25 में 8 बीघा अनकमाण्ड कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बाबत् संशोधन आदेश जारी जाने से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि चक 20 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 162/5 के किला नम्बर 4, 5 ता 8, 13 ता 24 में 17 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 25 में 8 बीघा अनकमाण्ड कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन अपीलांट के पति किशनलाल पुत्र लालूराम को किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति जिसका नाम भी किशनलाल है और किशनलाल के पिता का नाम रामूराम है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष गलत तथ्य प्रकट करते कि वादगत् भूमि

किशनलाल पुत्र लालूराम को आवंटित नहीं हुई है वरन् किशनलाल पुत्र रामूराम को आवंटित हुई है। अतः आवंटन आदेश में इस आश्य का संशोधन किया जावे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही वादगत् भूमि के बाबत् संशोधन आदेश जारी कर दिया गया।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु किशनलाल पुत्र रामूराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से फोटो फार्म प्राप्त किया गया। उक्त फोटो फार्म में भी किशनलाल पुत्र रामूराम का नाम अंकित करते हुए किशनलाल पुत्र रामूराम का पेशा खेती मजदूरी अंकित किया गया है।

(4) उक्त फोटो फार्म प्राप्त होने पर अदालत मातहत द्वारा आदेशिका दिनांक 01—03—1984 को रेस्पोडेन्ट किशनलाल पुत्र रामूराम के नाम से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त आदेशिका के अनुसरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया। उक्त आवंटन आदेश में सहवन से किशनलाल पुत्र रामूराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र लालूराम अंकित कर दिया गया। जिसके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि पर अपना क्लेम प्रस्तुत कर रहे है। जबकि अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा आवंटन पत्रावली की नकल, फोटो फार्म आदि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि अपीलांट के कथनों को कोई बल प्राप्त होता हो।

(5) अदालत मातहत द्वारा उनके द्वारा जारी आवंटन आदेश में किशनलाल पुत्र रामूराम के स्थान पर जहॉ किशनलाल पुत्र लालूराम अंकित हो गया है को संशोधन किये जाने के आदेश अपीलाधीन आदेश के माध्यम से प्रदान किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रूटि प्रतीत नहीं होती है। जहॉ तक अपीलांट का कथन उक्त आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया

है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र बतौर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत किया गया ना ही अदालत मातहत के समक्ष ऐसी कोई पत्रावली संधारित किया जाना परिलक्षित होता है क्योंकि अपीलांट स्वयं द्वारा प्रस्तुत अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं अतः अपीलांट की आपत्ति की अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, को उपलब्ध रिकार्ड के मद्देनजर खारिज किया जाता है।

(6) ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04—01—2011 को जारी संशोधन आदेश रेस्पोडेन्ट की पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अनुसरण में पारित किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील की अपील खारिज की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 04—01—2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर